सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 46/17</u> **निर्णय दिनांकः**

1. श्रीमती शेरादेवी बेवा रेवन्तराम जाति मेघवाल निवासी हरिनगर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. जीवनराम
3. चाननराम पिसरान श्री अमराराम पुत्र रेवन्तराम जाति मेघवाल
4. सुरजाराम निवासी चक 3 केपीएम तहसील छत्तरगढ़ जिला
5. ताराचन्द बीकानेर।
6. श्रीमती विमलादेवी बेवा अमराराम जाति मेघवाल निवासी गांव हरिनगर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
7. मुखराम पिसरान श्री रूपाराम पुत्र मोडूराम जाति मेघवाल
8. गणपतराम निवासी गांव हरिनगर तहसील छत्तरगढ़ जिला
9. कालूराम बीकानेर।

अपीलांट्स

—बनाम—

1. भंवराराम पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी चसक 1 डी.एल. तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 20—12—2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

<u>अपील संख्या 81/17</u>

1. देवीलाल पुत्र श्री पूर्णाराम जाति जाट निवासी गांव हरिनगर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर

अपीलांट्

—बनाम—

1. श्री भंवराराम पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी चसक 1 डी.एल. तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 20–12–2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

<u>उपस्थितिः–</u>

1. श्री विजय पारिक, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के निर्णय दिनांक 01–12–2016 जिसके द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये आवंटन प्रक्रिया व नियमों के विरूद्व जाकर अपीलांट की खातेदारी भूमि का आवांटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. दोनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक–एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

4. **(ए)** विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने दोनों अपीलों में अपनी बहस में बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से रेस्पोडेन्ट को चक 3 केपीएम के

मुरब्बा नम्बर 147/58 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि विशेष आवंटन के तहत आवंटन किया गया है। जबकि उक्त आराजी कमाण्ड भूमि है। अभिभाषक अपीलांट ने कथन

किया कि वादगत् आराजी चक 3 केपीएम के मुरब्बा न म्बर 147/58 के किला नम्र 4 ता 8, 11 ता 15 व 17 ता 23 कुल 17 बीघा भूमि रेवन्तराम वा मोडाराम के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि है। अपीलांट्स के पति/पिता को उक्त खातेदारी दिनांक 04–12–1984

को जारी की गई थी। अदालत मातहत द्वारा उक्त खातेदारी पूर्ण जॉच कर संवत् 2012 से पूर्व की व बाद की भूमि होने के कारण 15एएए के तहत समस्त रिकार्ड देखकर कीमतन व बिना कीमत खातेदारी प्रदान की गई थी व अपीलांट द्वारा राशि भी जमा करवा दी गई थी।

(बी) उ**क्त भूमि हजिन की खातेदारी भूमि है। इस कारण हरिजन की खातेदारी भूमि किसी भी स्थिमि में स्वर्ण जाति के व्यक्ति को आवंटन नहीं की जा सकती। चाहे हरिजन की रजामंदी ही क्यों ना हो। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने आरआरडी 1994 पेज 715 की नजीर पेश की है जिसमें यह प्रतिपादित किया है कि वादगत् आराजी सेक्शन 42ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट से हिट होती है।** उन्होंने आगे बताया

कि अदालत मातहत का अपीलाधीन आदेश विदाउट ज्यूरिशडिक्शन के पारित किया गया है क्योंकि किसी की खातेदारी भूमि किसी को आवंटन नहीं की जा सकती है। अपीलांट की खातेदारी भूमि कभी भी खारिज नहीं हुई है।

(सी) अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अपीलांट ने वादगत् भूमि के के आवंटन हेतु वर्ष 2000 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 27–11–2000 व 2001 को 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने बाबत् आवंटन सलाहकार समिति में नोटिस दिया गया था इसके पश्चात् अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलांट का प्रार्थना पत्र आज तक पेडिंग है। अपीलांट की प्रथम वरियता बनने से अपीलांट एकमात्र आवंटन का अधिकारी है।

(डी) अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् आराजी के आवंटन हेतु कब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है का अंकन नहीं है ना ही किसी सक्षम अधिकारी का प्रजन्टेशन है। अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट के कब प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अदालत मातहत की

पत्रावली में कोई आर्डरशीट नहीं है तथा आर्डरशीट पर किसी सक्षम अधिकारी के कोई हस्ताक्षर नहीं है ना ही कोई दिनांक अंकित है। अदालत मातहत द्वारा समस्त कार्यवाही फर्जीवाडें व रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियम से पारित किया गया आदेश है।

वास्तविक स्थिति यह है कि रेस्पोडेन्ट विशेष आवंटन के तहत आवंटन का पात्र ही नहीं है क्यों कि रेस्पोडेन्ट के पास पूर्व में ही सिलिंग सीमा से अधिक भूमि है। आवंटन नियमों के तहत किसी भी काश्तकार को आवंटन नियम 13(ए) के तहत सिलिंग सीमा तक की भूमि का आवंटन किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट के धारण मे पूर्व में ही चक 15 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 122/29 में 16 बीघा 14 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम है। चक 1 पी.एम के मुरब्बा नम्बर 186/51 में पत्नि सरस्वती के नाम 10 बीघा अनकमाण्ड भूमि है। रेस्पोडेन्ट एक संयुक्त परिवार का सदस्य है। इसी कारण उक्त भूमि भी स्वयं की मानी जावेगी। इसी प्रकार चक 3 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 146/55 में स्वयं के नाम से 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन है जो 12 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि के बराबर है तथा चक 1 डी.एल के मुरब्बा नम्बर 223/6 में 17 बीघा कमाण्ड भूमि

आवांटन व 2 बीघा कमाण्ड भूमि स्माल पेच में आवंटन है। इसी प्रकार चक 1 डी.एल में रेस्पोडेन्ट के पिता के नाम 32 बीघा भूमि कमाण्ड स्थित हैं जिसमें 8 हिस्सेदार होने पर 4 बीघा अपीलांट के हिस्से में आती है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट के हिस्से में 57 बीघा भूमि धारण में होने से रेस्पोडेन्ट को विशेष आवंटन में भूमि आवंटन नहीं हो सकती है क्योंकि सिलिंग सीमा 52 बीघा 10 बिस्वा है।

(ई) उन्होंनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट का आवंटन अवैद्य रूप से किया गया है। रेस्पोडेन्ट का आवंटन सहालकार समिति की राय से नहीं किया गया है। अदालत मातहत का कथन कि 10 वर्ष पूर्व ही कमेटी में रख दिया गया था जो नियम विरूद्व है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर के आवंटन से पूर्व आवंटन नियम 13

ए की पालना नहीं की गई है। वादगत् आराजी अपीलांट की खातेदारी भूमि है। जिसका आवंटन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में आरआरडी 1994 पेज 756 प्रस्तुत किये गये। वादगत् आराजी वर्ष 2000 में नोटिफाईड की जा चुकी थी तब से कोई आवंटन के प्रार्थना पत्र आमंत्रित नहीं किये गये है। आराजी जैर एक आक्यूपाईड भूमि है। नियमानुसार आक्यूपाईड भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। वादगत् आराजी पूर्व में अपीलांट की गैरखातेदारी भूमि थी जिसकी कालांन्तर में अपीलांट को खातेदारी प्रदान की जाकर राजस्व रिकार्ड पेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की

जाकर रेस्पोडेन्ट को किया गया आराजी जैर का आवंटन निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

1. आरआरडी 1994 पेज 715
2. आरआरडी 1996 पेज 211
3. आरआरडी 1994 पेज 757

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गा है। जिसके काउन्टर में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई व बिना नोटिस दिये पारित किया है। अतः प्रकरण में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि अदालत मातहत के समक्ष विशेष आवंटन हेतु आरक्षित रकबा चक 3 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 147/58 के किला नम्बर 1 ता 25 अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा उक्त रकबे के आवंटन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का तुलनात्मक विवरण तैयार करते हुए पाया कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु भंवराराम, देवीलाल, मुखराम व रामलाल के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। श्री भंवराराम के अलावा अन्य आवेदकों ने कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि यदि उक्त भूमि भंवराराम को आवंटित की जाती है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। रेस्पोडेन्ट की वरियता आवंटन नियम 7 के अनुसार सर्वोच्य श्रेणी की पाई गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजात् यथा मूल निवास प्रमाण पत्र, सद्भावी काश्तकार प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट आदि प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा संयुक्त उपखण्ड खाजुवाला में हुई आवंटन सलाहकार समिति की राय से प्रथम श्रेणी के आवेदकों/एकल आवेदकों को आवंटन किये जाने बाबत् निर्णय लिया जा चुका है। अतः रेस्पोडेन्ट के आवेदन की प्रथम वरियता के आधार पर नियमानुसार आराजी जैर का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा पारित आवंटन आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट द्वारा नर्धारित 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी है।

उन्होंने आगे बहस में कथन किया कि अपीलांट का यह कथन कि आराजी जैर की कीमतन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15एएए(3) के तहत सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ द्वारा खातेदारी सनद संख्या 439 दिनांक 04-12-1984

को खातेदारी प्रदान की गई है। अपीलांट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा जो खातेदारी सनद् प्रस्तुत की गई है उक्त सनद् में वर्णित समस्त आराजी अन्य काश्तकारों को आवंटनशुदा भूमि है तथा उक्त आवंटनशुदा काश्तकारों द्वारा अपनी आवंटनशुदा भूमि को अन्यत्र बैय भी कर दिया गया है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को भी वादगत् भूमि का आवंटन आराजी जैर के आराजीराज होने पर आवंटित की गई है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है जबकि आज दिनांक को आराजी जैर पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश की पालना में आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है व रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन राशि जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपीलें खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक प्रकरण में मियांद का प्रश्न है अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके काउन्टर में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई व बिना नोटिस दिये पारित किया है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जहॉ प्रकरण के निर्णय में मियांद के स्थान पर गुणावगुण का बिन्दु महत्वपूर्ण हो तो ऐसी स्थिति में मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायसंगत होगा। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 1998 पेज 319 अरबन इम्पूरमेंट ट्रस्ट बनाम पूनमचन्द मामलें में पूर्णतया चस्पा होती है। जिसमें यह अभिलिखित किया है किः–

Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merit of the case- Legality of- Held, now it must be taken as well settled princile of low that before rejecting application u/s 5, and dismissing appeal as time- barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merit of appeal and unless appeals are found to be hopelessly

devoid of merit, ordinarily efforts should be made to decide appeal on merit.

अतः उक्त नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

(1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर चक 3 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 147/58 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने आवंटन आदेशिका में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया है कि रेस्पोडेन्ट भंवरराम के अलावा अन्य आवेदकों ने कार्यालय में उपस्थित होकर इस आश्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि यदि उक्त भूमि भवंरराम को आवंटित कर दी जाती है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है।

जबकि उक्त आदेशिका में अदालत मातहत द्वारा जो तुलनात्मक विवरण आवदकों का बनाया गया है उक्त सारणी के पैरा संख्या 6 में यह अभिलिखित किया है कि क्रम संख्या 3 व 4 जो कि क्रमशः मुखराम व रामलाल ने विकल्प दिया है। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा स्वमेव के कथन

विरोधाभासी है तथा आराजी जैर का आवंटन अपने कथनों के विपरीत किया गया है।

(2) जब अदालत मातहत द्वारा स्वयं यह माना है कि वादगत् आराजी के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट भंवरराम के साथ–साथ तीन अन्य आवदकों के आवेदन प्रस्तुत है, व तुलनात्मक विवरण के अनुसार अन्य आवेदकों में मुखराम व रामलाल द्वारा विकल्प दिया है। तो ऐसी स्थिति में शेष रहे आवेदन अर्थात अपीलांट देवीलाल के आराजी जैर के आवंटन प्रार्थना पत्र के लम्बित रहने कारण आराजी जैर के आवंटन से पूर्व अपीलांट देवीलाल को पर्याप्त सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आराजी जैर का आवंटन किया जाना चाहिए था। जैसा कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नहीं किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा वादगत् आराजी का आवंटन, आवंटन नियम 13(ए) के विपरीत जाकर किया जाना साबित है।

(3) प्रकरण में जहॉ तक रेस्पोडेन्ट का कथन कि वादगत् भूमि कीमतन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15एएए (3) के तहत सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ द्वारा खातेदारी सनद संख्या 439 दिनांक 04–12–1984 को खातेदारी प्रदान की गई है। उक्त खातेदारी में वर्णित समस्त भूमि अन्य काश्तकारों को आवंटनशुदा भूमि है तथा काश्तकारों द्वारा आवंटित भूमि को अन्य को बेचान भी किया जा चुका है तथा रिकार्ड में अमलदरामद किया जा चुका है।

–जहॉ तक उक्त खातेदारी में अपीलांट की वादगत् भूमि का प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट को जारी खातेदारी सनद् का आज दिनांक तक अमलदरामद नहीं हुआ है तथा रिकार्ड में वादगत् आराजी आवंटन दिनांक को आराजीराज दर्जशुदा होने पर रेस्पोडेन्ट को आवंटन की गई है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारीशुदा भूमि है।

–जब वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि थी, जिसका इन्द्राज रिकार्ड में किये जाने का भार अपीलांट पर न होकर संबंधित तहसीलदार व सरकारी कर्मचारियों का दायित्व था कि वे अपीलांट को जारी खातेदारी सनद् का इन्द्राज रिकार्ड में तत्समय ही किया जाना सुनिश्चित करते। जैसा की प्रकरण में संबंधित तहसीलदार व सरकारी कर्मचारियों यथा पटवारी/गिरदावर द्वारा नहीं किया गया है यदि तत्समय ही वादगत् आराजी का इन्द्राज अपीलांट के नाम से कर दिया जाता तो यह विवाद भी उत्पन्न नहीं होता।

(4) रेस्पोडेन्ट् का यह कथन तो स्वीकार है कि आवंटन के समय वादगत् आराजी शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज थी तथा आराजीराज दर्ज होने पर ही रेस्पोडेन्ट को वादगत् आराजी का आवंटन किया गया है। सर्वप्रथम तो वादगत् आराजी के रेस्पोडेन्ट को किये गये आवंटन के आदेश में स्वमेव अंकित है कि अपीलांट का भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत था। इस तथ्य को दरकिनार नहीं किया जा सकता। यहॉ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि जब वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारीशुदा भूमि थी तो ऐसी स्थिति में आराजी जैर आक्यूपाईड लैण्ड की श्रेणी की होने कारण आवंटन के लिए उपलब्ध ही नहीं थी। जब वादगत् आराजी आवंटन दिनांक को आवंटन के लिए उपलब्ध ही नहीं था तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि का किया गया आवंटन आदेश एबईनिशियोवाईड व प्रारम्भ से ही शून्य व नलिटि आदेश की परिभाषा में आता है।

(5) इसप्रकार उपरोक्त विवचेन से यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा आक्यूपाईड लैण्ड जो कि अपीलांट की खातेदारी भूमि थी, का आवंटन रेस्पोडेन्ट भंवराराम को अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान न करते हुए एकतरफा तौर पर किया गया है।

–अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की कतई जॉच नहीं की गई कि रेस्पोडेन्ट के धारण में पूर्व में कितनी भूमि निहित है।

जबकि अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट के धारण में सिलिंग सीमा से अधिक भूमि है। इसलिए रेस्पोडेन्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

–इसी क्रम में हमारा अभिमत यह है कि जब वादगत् आराजी के आवंटन हेतु अपीलांट द्वारा वर्ष 2000 में ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था तो अदालत मातहत को तत्समय ही वादगत् आराजी चक 3 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 147/58 में शेष रही आठ बीघा यथा किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 10, 16 व 24 व 25 का आवंटन किया जाना चाहिए था।

–अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करके मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से आवंटन नियमों को ताक पर रख कर आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। जो किसी भी सूरत में न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ दिनांक 20–12–2016 निरस्त किया जाकर

–अपीलांट की अपील संख्या 46/2017 उनवान शेरादेवी बनाम भंवरराम स्वीकार की जाती है।

–अपील संख्या 81/17 उनवान देवीलाल बनाम भंवरराम इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे अपीलांट के आवंटन प्राथना पत्र की जॉच करते हुए पात्रता अनुसार चक 3 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 147/58 में शेष रही आठ बीघा यथा किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 10, 16 व 24 व 25 के आवंटन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर